अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय

Follow Us:

@khanglobalstudies

वर्तमान संदर्भ

बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन में हुए युद्ध अपराधों पर हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) को साक्ष्य देना शुरू कर दिया है।

अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) के बारे में

- रोम संविधि, जो **ICC** की आधार संधि के रूप में कार्य करती थी, को २००२ में रोम में न्यायालयी कार्य का संचालन शुरू होने से पहले, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अनुमोदित किया गया था।
- **ICC** का मुख्यालय **नीदरलैंड** के हेग में स्थित है। यह एक स्वतंत्र न्यायपालिका निकाय है जो दुनिया का पहला स्थायी **अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय** है।
- यह अपने समक्ष आये मामलों की जांच करता है और जहां आवश्यक हो, विश्व समुदाय के लिए खतरे से संबंधित सबसे गंभीर अपराधों, जिसमें नरसंहार, युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और आक्रामकता के अभियुक्तों पर मुकदमा चलाता है।
- वर्तमान में **123** देश **ICC** के सदस्य हैं, जिनमें अफ्रीकी देशों की संख्या सबसे अधिक हैं।
- भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया और तुर्की ने कभी भी रोम संविधि की अभिपुष्टि नहीं की है, जबकि अमेरिका**,** रूस**,** इज़राइल और सीरिया ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कभी भी इसकी अभिपुष्टि नहीं की है।

ICC की संरचना

ICC चार अंगों से बना है : प्रेसीडेंसी, न्यायायिक प्रभाग (चैंबर्स), अभियोजक का कार्यालय और रजिस्ट्री।

प्रेसीडेंसी : यह न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार है और बाहरी दुनिया में न्यायालय का प्रतिनिधित्व करती है।

चैंबर्स (पूर्व सुनवाई, सुनवाई और अपील) : इसमें 18 न्यायाधीश शामिल होते हैं जो न्यायालय के न्यायिक कार्यों को निष्पादित करते हैं। वे उन सभी मामलों का समाधान करते हैं, जो सुनवाई प्रारम्भ होनी से पहले सामने आते हैं तथा न्यायालय के समक्ष स्थितियों और मामलों की स्वीकार्यता पर निर्णय लेते हैं। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि सुनवाई निष्पक्ष और शीघ्र हों तथा अभियुक्तों के अधिकारों के प्रति पूर्ण सम्मान तथा पीड़ितों और गवाहों की सुरक्षा के प्रति उचित सम्मान के साथ संचालित किए गये हों। चैंबर्स किसी निर्णय को बनाए रख सकते हैं, उलट सकते हैं या संशोधित कर सकते हैं या यहां तक कि एक नये सिरे से सुनवाई का आदेश भी दे सकते हैं।

अभियोजक का कार्यालय : यह ICC के अधिकार क्षेत्र के भीतर स्थितियों या कथित अपराधों के बारे में जानकारी का विश्लेषण करता है, यह निर्धारित करता है कि क्या जांच शुरू की जाए और न्यायालय के विभिन्न चैंबरो के समक्ष मामलों की पैरवी की जाए।

रजिस्ट्री : यह अदालत को प्रशासनिक और परिचालन सहायता प्रदान करती है तथारक्षा, पीड़ितों, संचार और सुरक्षा मामलों से संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होती है।

ICC की आलोचना

01 जांच और सजा में जल्दबाजी करने के लिए इस न्यायालय की आलोचना की जाती है। 19 से अधिक वर्षों से संचालन के बाद इसने अपने पास आये मामलों में से केवल 10 प्रतिवादियों को दोषी पाया है और चार को बरी किया है।

02 अमेरिका जैसे समृद्ध और मजबूत देशों द्वारा किए गए अपराधों को नजरअंदाज करने के कारण इसकी आलोचना की जाती है।

03 ICC के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केवल पक्ष देशों के क्षेत्रों में किए गए अपराध ही आते हैं।

04 सदस्य देशों द्वारा न्यायालय हेतु दिए गये समय, प्रयास और वित्तीय संसाधन इसके परिणाम में दिखाई नहीं देते हैं।

Follow Us: @khanglobalstudies

International Criminal Court (ICC)

Follow Us:

@khanglobalstudies

Current Context

The Biden administration has said it has begun sharing evidence with the International Criminal Court (ICC) in The Hague on war crimes committed in Ukraine.

About International Criminal Court (ICC)

- The Rome Statute, which served as the ICC's foundation treaty, was approved by the UN General Assembly in Rome, before the court's operations began in 2002.
- The ICC, located in The Hague, the Netherlands, is an **independent judiciary** body which is the **world's first permanent** international criminal court.
- It conducts investigations and, where necessary, prosecutes those accused of the most serious offences of concern to the world community, including genocide, war crimes, crimes against humanity, and acts of aggression.
- Currently, **123 countries** are members of the ICC, with African countries making up the largest bloc.
- **India,** along with China, Iraq, North Korea, and Turkey, have **never ratified** the Rome Statute, while the US, Russia, Israel, and Syria have signed it but have never ratified it.

Composition

The ICC is composed of four organs: the Presidency, the Chambers, the Office of the Prosecutor and the Registry.

The Presidency is responsible for the administration of the Court and represents the Court to the outside world.

The Chambers (**Pre-Trial, Trial and Appeals**) comprise of 18 judges who fulfil the judicial functions of the Court. They resolve all issues which arise before the trial phase begin and decide on the admissibility of situations and cases before the Court. They ensure that trials are fair and expeditious and are conducted with full respect for the rights of the accused and due regard for the protection of the victims and the witnesses. They may uphold, reverse or amend a decision or even order a new trial.

The Office of the Prosecutor analyses information on situations or alleged crimes within the jurisdiction of the ICC, determines whether to initiate an investigation and litigates cases before the various Chambers of the Court.

The Registry provides administrative and operational support to the Court and is responsible for activities in relation to defence, victims, communication and security matters.

Criticism of the Court

01 The Court has been criticized for the haste of its investigation and sentencing. After more than 19 years of operation, it has found 10 defendants guilty and four acquitted in a handful of cases.

02 It is criticized for avoiding crimes committed by rich and strong states such as the United States.

03 The ICC has jurisdiction applicable only for crimes committed in the territories of State Parties.

04 The time, efforts and financial resources invested in the Court by member countries is not worth the outcome.